ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 09/2006 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 द्वारा ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को आंबटित किए जाने के दृष्टिगत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहडू जिला शिमला की परिवहन से सम्बन्धित निधियों के अवधि 09/2006 से 03/2014 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग के श्री अनिल कुमार मेहरा व श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनाँ 29.09.2014 से 18.10.2014 के दौरान रोहडू में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 12/2006, 04/2007, 02/2009, 02/2010, 03/2011, 9/2011, 05/2012, 09/2013 तथा व्यय की विस्तत जाँच के लिए माह 02/2007, 10/2007, 12/2008, 02/2010, 12/2010, 03/2012, 01/2013, 07/2013 चयनित किए गए।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	7	कुल प्राप्तियों के 25**%** अंशदान के रूप में को राजकीय कोष में जमा न करवाना	1.02
2	11	निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर तथा औपचारिकताऐं पूर्ण किए बगैर व्यय किया जाना	3.07

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान (आर0एल0ए0) रोहडू में निम्न विवरण अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत्त थेः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कार्य अवधि
1	श्री अमरजीत सिंह (हि0प्र0से0)	01.09.2006 से 30.10.2007
2	श्री संदीप कुमार (हि0प्र0से0)	02.11.2007 से 11.01.2008
3	श्री एम0एल0 शर्मा (हि0प्र0से0)	12.01.2008 से 18.08.2008
4	श्री संजय शर्मा (हि0प्र0से0)	19.08.2008 से 10.03.2009
5	श्री बी0आर0 शर्मा (हि0प्र0से0)	11.03.2009 से 30.04.2010
6	श्री पियारे लाल	01.05.2010 से 03.06.2010
7	श्री एम0आर0 धीमान (हि0प्र0से0)	04.06.2010 से 11.02.2013
8	श्री विशाल शर्मा (हि0प्र0से0)	12.02.2013 से 27.02.2013

9 श्री वाईपीएस वर्मा (हि0प्र0से0) 28.02.2013 से 31.03.2014

यहाँ यह भी वर्णित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

2 लेखा परीक्षा शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड के अवधि 09/2006 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10800/– बनता है। अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 192/2014 दिनाँक 18.10.2014 जारी करके अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट से प्रेषित करने हेतु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी रोहड़ू से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) रोहड़ू द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी के अवधि 09/2006 से 03/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी। सोसाईटी की आय की माहवार स्थिति का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क"** तथा अन्तिम शेष का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया हैः–

Financial Position of E-Governance Society for RLA (SDM) Office, Rohru, Distt. Shimla for the year 2006-07 to 2013-14									
Year	Opening Balance	Receipts				Payments			Closing Balance
		RLA	Others (Land Registration of land Record, E-Parman etc.)	Interest	Total	E-Governance (All Heads)	Remittance of share to transport Deptt./D.C. Shimla	Total	
2006-07	-	128691	307168	-	435859	107528	115299	222827	213032
2007-08	213032	163160	292034	-	668226	343806	186409	530215	138011
2008-09	138011	205380	218863	-	562254	306162	212119	518281	43973
2009-10	43973	264010	290282	-	598265	433283	-	433283	164982
2010-11	164982	282480	226400	-	673862	313034	-	313034	360828
2011-12	360828	362940	246970	-	970738	437606	465937	903543	67195
2012-13	67195	291220	273341	39611	671367	494166	143410	637576	33791

2013-14	33791	337480	434756	2418	808445	421967	156978	578945	229500

इस प्रकार से वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.03.2014 तक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की (आर0एल0ए0) अर्थात परिवहन से सम्बन्धित निधियाँ तथा अन्य निधियों का अन्तशेष ₹229500/– था एवं इतनी ही राशि रोकड़ बही में जमा पाई गई जोकि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक सीमित, रोहडू के खाता संख्या 13120120710 में दिनाँक 31.03.2014 को ₹229291/– शेष/जमा थी। दिनाँक 31.3.2014 को अन्तशेष को उक्त राशि का पूर्ण विवरण बैक समाधान विवरणिका सहित **परिशिष्ट (ख)** में दिया गया है। इस प्रकार वर्षवार वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही अनुसार शेष राशि में कोई अन्तर नहीं है।

4 दिनाँक 08.08.2008 के अन्तिम शेष को अगले कार्य दिवस को ₹4000/–करके कम दर्शाया जानाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहडू की रोकड़ बही की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनाँक 08.08.2008 को अन्तिम शेष की ₹146482/–थी जबकि अगले कार्य दिवस को प्रारम्भिक शेष के रूप में ₹142482/– दर्शाई गई थी। इस प्रकार प्रारम्भिक शेष में ₹4000/– कम दर्शाई गई थी। इस सन्दर्भ में उप–मण्डल दण्डाधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2014 दिनाँक 29.09.2014 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, यद्यपि बाद में अंकेक्षण अधियाचना की अनुपालना में ₹4000/– को रोकड़ बही में हस्तगत दर्शाकर इसे दिनाँक 17. 10.2014 को बैंक में जमा करवाया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दोरान ही सम्बन्धित मूल अभिलेख सहित कर ली गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर त्रुटि को न दोहराया जाए।

5 विभिन्न प्रकार के यूजर चार्जिज (User Charges) तथा आय प्राप्तियों की एकीकृत रोकड़ बही रखी जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उप–मण्डल (आर0एल0ए0) स्त्तर पर यूजर चार्जिज के अतिरिक्त अन्यों कार्यो जैसे भूमि, राजस्व प्रमाण पत्रों इत्यादि से सम्बन्धित यूजर चार्जिज भी प्राप्त किए जाते है परन्तु सोसाईटी द्वारा सभी प्रकार यूजर चार्जिज तथा अन्य कार्यो से प्राप्त आय के लिए व उसमें से किए गए व्यय के लिए एक ही रोकड़ बही का रख रखाव किया जा रहा है तथा सभी प्रकार के यूजर चार्जिज तथा अन्य प्राप्तियों के लिए एक ही बैंक खाते का सचालन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) द्वारा में दिनाँक 31.03.2014 तक परिवहन की निधियों से

कितनी राशि प्राप्त की गई, उनमें से कितना व्यय किया गया तथा कितना शेष है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) की परिवहन से सम्बन्धित प्राप्तियों व उसमें से किए भुगतान के लिए अलग से रोकड़ बही तैयार की जाए तथा अलग से बैंक खाता खोला जाए तथा लेखों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ (1) 30/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के पैरा 3 अनुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

6 रसीदों से प्राप्त ₹730/– को न तो रोकड़ बही में दर्शाया जाना न ही बैंक में जमा करवानाः–

ई–गवर्नेन्स सेासाईटी (आर0एल0ए0) रोहडू की आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माहों की आय के अंकक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ रसीदों से प्राप्त की गई थी परन्तु इन राशियों को न तो रोकड़ बही में लेखाँकित किया गया था न ही बैंक में जमा करवाया गया थाः–

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनाँक	रसीद से वास्तविक प्राप्ति	राशि जो रोकड़ बही व बैंक में जमा करवाई गई थी	कम जमा
1	1333	13.12.06	200	100	100
2	1387	26.12.06	450	––	450
3	1848	28.03.07	50	––	50
4	803	05.04.07	100	50	50
5	28691 से 28701	21.06.13	340	300	40
6	29144 से 29152	25.07.13	240	200	40
				कुल योग	**₹730**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण अनुसार ₹730/– को लेखाँकित न करने के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके तथा इसे ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के लेखों मे लेखाँकिंत करके इसे बैंक में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 कुल प्राप्तियों के 25% अंशदान के रूप में ₹102012/– को राजकीय कोष में जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 तथा कमिश्नर–कम–सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पत्र संख्या सीटी/अकाऊंटस/ई–गवर्नेन्स सोसाईटी/05–541–43 दिनाँक 09.01.2006 के अनुसार (आर एल ए) के यूजर चार्जिज (user charges) के 25**%** भाग की राशि राजकीय कोष में

0041–taxes on motor vehicles 102-receipt state motor vehicles 800-other receipt शीर्ष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 भाग–1 के नियम 2.4 अनुसार भी सभी सरकारी प्राप्तियों को यथासमय राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। माह 09/2006 से 06/2012 के ई–गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) द्वारा यूजर चार्जिज (user charges) के रूप में ₹1524861/– की प्राप्ति हुई जिसका 25**%** ₹381215 बनता है, परन्तु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू द्वारा इसमें से निम्नविवरणानुसार केवल मात्र ₹279203/– ही सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाई थी।

Period	**Total Collection of RLA users charges**	**Required to be deposited in Govt. receipt head i.e. 25%**	**Actual deposit**		**Less deposited**	**Remarks**
9/06 to 6/12			Date of deposit	Amount		After 6/12 it is regularly deposited
			13.07.12	122225		
			23.09.13	156978		
Total	**1524861**	**381215**		**279203**	**102012**	

इस प्रकार उपरोक्त विवरण अनुसार राजकीय कोष में ₹381215–₹279203=₹102012 कम जमा करवाई गई। इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 189/2014 दिनाँक 16.10.2014 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को अवगत करवाया गया था परन्तु सम्बन्धित अधिकारी से इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त ₹102012/– को सरकारी शीर्ष में कम जमा करवाने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि इस राशि को अतिशीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 ₹3364/– का समायोजन न किया जानाः–

मै0 हटेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स को POP Room को वाईरिंग हेतु दिनाँक 21.02.2007 को चैक संख्या 4082038 द्वारा ₹10000/– बतौर अग्रिम भुगतान किया गया था, परन्तु इस राशि के विरूद्ध समायोजन बिल केवल ₹6636/– के ही प्राप्त किए गए थे तथा शेष ₹10000–₹6636=₹3364 का समायोजन नहीं किया गया था जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹3364/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू की प्राप्तियों को अनियमित रूप से हस्तगत रखकर देरी से रोकड़ बही/बैंक में जमा करवानाः–

चयनित माहों की आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ प्राप्ति के बाद न तो रोकड़ बही में दर्शाई गई थी न ही बैंक में जमा करवाई गई थी तथा यह राशियाँ लम्बी अवधि के पश्चात ही रोकड़ बही में लेकर बैंक में जमा करवाई गई थी जोकि वित्तीय नियमावली खण्ड–1, 1971 की धारा 2.4 में दिये गये प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार के कुछेक मामले उदाहरणार्थ निम्न प्रकार से दिये गये हैः–

क्र0सं0	प्राप्ति की अवधि/दिनाँक	राशि जो प्राप्त की गई	रोकड़ बही/बैंक में जमा करने की तारीख	देरी से जमा करवाने की अवधि
1	30.10.2006 से 02.12.2006	35380	04.12.2006	33 दिन
2	04.12.2006 से 30.12.2006	16100	06.01.2007	26 दिन
3	02.03.2007 से 30.03.2007	17170	03.04.2007	28 दिन
4	02.04.2007 से 30.04.2007	11640	03.05.2007	28 दिन
5	01.01.2009 से 31.01.2009	24790	04.02.2009	31 दिन
6	01.12.2009 से 31.12.2009	22950	02.02.2010	62 दिन

अतः भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

10 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा ₹63071/– के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहडू द्वारा चयनित माहों से सम्बन्धित निम्नलिखित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गएः–

क्र0सं0	जिसे भुगतान किया गया	विवरण	भुगतान की तिथि	राशि
1	मै0 इन्द्रजीत सिंह	एल्यूमिनियम कार्य के निष्पादन हेतु	8.02.2007	39371
2	श्री प्रदीप राही व सुलक्षणा देवी	परिश्रमिक माह 9/2007	4.10.2007	8000
3	मै0 ध्रुव स्टील एंड वूडन इंडस्ट्री, हमीरपुर	3 कुर्सियाँ	24.10.2007	2700
4	श्रीमती सुलक्षण देवी	परिश्रमिक माह	16.12.2008 10/2008 व 11/2008	8000
5	श्रीमती सुलक्षण देवी	परिश्रमिक माह 11/2010	4.12.2010	5000
			कुल योग	**₹63071**

उपरोक्त बिल/वाऊचर प्रस्तुत न करना अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा बिल/वाउचरों की अनुपस्थिति में किए गए भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 191/2014 दिनाँक 17.10.2014 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा बिल/वाउचर के अभाव में ₹63071/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर तथा औपचारिकताऐं पूर्ण किए बगैर व्यय किया जानाः–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 की धारा 97 में दिये गये प्रावधान के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा इनसे पूर्व ₹1000 से अधिक को खर्च करने हेतु निविदाय लो जानी अपेक्षित थी व खरीद न्यूनतम दर से खरोद की जानी अपेक्षित थी ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके जबकि चयनित माहों के भुगतान बिल/वाउचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा इस प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ही भुगतान किया गया था जिसके कुछ मामले निम्न प्रकार से दिये गये हैः–

क्र0 सं0	दिनाँक जिस दिन रोकड़ बही में भुगतान दर्शाया गया था	आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता का नाम	बिल संख्या/दिनाँक	सामग्री का विवरण	राशि
1	07.02.07	मै0 हरी दास एंड कं0	24639/10.10.06	लजेर्जेंट टोननर, फोटोस्टेट पेपर ए–3	6473
2	07.02.07	मै0 हरी दास एंड कं0	25579/22.11.06	लजेर्जेंट टोननर,	9639
3	19.10.07	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	413/17.08.07	लजेर्जेंट टोननर,	6645
4	19.10.07	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	370/18.01.07	इंकजेट कार्टरेजेस, ग्लोंसी पेपर, लाईसेन्स पौंचेस	3492
5	19.10.07	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	394/07.05.07	इंकजेट कार्टरेजेस, ग्लोसी पेपर, लाईसेन्स पौंचेस	3805
6	20.10.07	मै0 देल्ही स्टोर, रोहड़ू	11556/23.08.07	30 बॉक्स टाइल्स	26250

7	18.12.08	एच एंड एच टेक्नॉलॉजी, खलिनी, शिमला	30889 / 12.11.08	फ्यूज किट व पीक उप रोलर	17700
8	20.12.08	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	549 / 19.06.08	इंकजेट कार्टरेजेस, ग्लोंसी पेपर, लाईसेन्स पोंचेस	3693
9	20.12.08	मै0 अम्बिका टडर्स, शिमला	0025 / 01.08.08	कार्टरेजेस	10200
10	20.12.08	गुप्ता इलेक्ट्रोनिक्स, रोहडू	434 / 08.12.08	3 हेलोजेन हीटर	3300
11	20.12.08	सिंह बुक डिपो, रोहडू	3174 / 02.06.08	10 रिम ए–4, 5 रिम ए–3	3550
12	23.02.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	450 / 25.11.09	लेजर टोनर	3825
13	23.02.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	466 / 15.12.09	आरसी फार्म, आरसी पाउच ग्लोसी पेपर	4125
14	06.12.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	734 / 07.12.10	टोनर, आरसी पाउच कार्टरेज	15300
15	06.12.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	740 / 10.12.10	50 रिम ए–3	16250
16	06.12.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	743 / 13.12.10	50 रिम ए–4, 6 रिम कम्पयूटर पेपर, 4 कार्टरेज	11520
17	06.12.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	750 / 15.12.10	4 लेजर टोनर	10770
18	06.12.10	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	747 / 14.12.10	5 लेजर टोनर	17990
19	06.03.12	मै0 अम्बिका ट्रेडर्स, शिमला	1224 / 23.12.11	1 लेजर टोनर, 1000 आरसी पाउच	9850
20	28.03.12	अपोलो सिस्टम एंड सर्विसेस, शिमला–9	639 / 17.03.12	4 कैनन कार्टरेज	4680
21	30.03.12	मै0 भगवती इलैक्ट्रिकल्स, रोहडू	65, 66, 67 / 27.03.12	विभिन्न इलैक्ट्रिकल्स सामग्री	13675
22	28.04.12	मै0 ट्रेड लिंक इंटेप्रिसिस शिमला	7183 / 10.02.12	कार्टरेज, टोनर फोटोस्टेट पेपर	30805
23	03.01.13	मै0 ट्रेड लिंक इंटेप्रिसिस शिमला	7332 / 20.03.12	कार्टरेज, टोनर फोटोस्टेट पेपर	23925

24	03.01.13	मै0 ट्रेड लिंक इंटेप्रिसिस शिमला	7601 / 23.05.12	कार्टरेज, टोनर फोटोस्टेट पेपर	22321
25	03.01.13	मै0 ट्रेड लिंक इंटेप्रिसिस शिमला	7014 / 25.09.12	कार्टरेज, टोनर फोटोस्टेट पेपर	3813
26	03.01.13	मै0 ट्रेड लिंक इंटेप्रिसिस शिमला	8286 / 17.12.12	अबलेट, वेब केमरा	4100
27	02.07.13	मै0 बिजनस मास्टर, शिमला–1	1202 / 16.05.13	आरसी फार्म, आरसी पाउच ग्लॉसी पेपर, फोटोस्टेट पेपर	4175
28	02.07.13	मै0 बिजनस मास्टर, शिमला–1	1251 / 01.06.13	कार्टरेज, फोटोस्टेट पेपर	16004
				कुल योग	**₹307605**

अतः हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 की धारा 97 में दिये गये प्रावधान अनुसार खरीद न करना अपने–आप में ही एक अनियमितता है तथा यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की जाँच सँस्था स्तर पर करके तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 की धारा 97 में दिये गये प्रावधान के अनुसार खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी में प्रयुक्त होने वाली लेखन व कम्पयूटर सामग्री का क्रय छोटे–2 बिलों के माध्यम से किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली म दिये गये प्रावधानों के अनुसार वर्ष में प्रयुक्त होने वाली समस्त लेखन तथा कम्पयूटर इत्यादि की सामग्री का अनुमान लगाकर खरीद बाजार की न्यूनतम दर पर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार के कुछ मामले निम्न प्रकार से दिये गये हैः–

क्र0सं0	बिल / दिनाँक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मद	राशि
1	2317 / 17.10.06	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 2 रिम ए–3	520
2	2320 / 19.10.06	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 5 रिम ए–3	130
3	011 / 20.12.06	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 1 रिम ए–5 पेपर 1 रिम ए–4	310
4	031 / 03.01.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 3 रिम ए–3	420
5	034 / 15.01.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 5 रिम ए–3	1375
6	050 / 15.01.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 3 रिम ए–4 कम्पयूटर पेपर 1000	745

7	546 / 31.08.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 4 रिम ए–4	560
8	527 / 20.08.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–4 पेपर 2 रिम टाइप	460
9	504 / शून्य	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 1 रिम ए–4	140
10	547 / 05.09.09	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 1 रिम ए–3	300
11	592 / 24.09.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–4 20 फाइल 1 पेन	425
12	603 / 04.10.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–3	600
13	609 / 05.10.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3, 5 रिम ए–4	2250
14	542 / 17.07.07	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–3	570
15	3435 / 10.07.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–3	740
16	3477 / 20.07.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 6 रिम ए–4	1020
17	2538 / 07.09.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3	1850
18	2551 / 18.09.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–3	740
19	2554 / 19.09.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–4	340
20	2958 / 20.09.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 1 रिम ए–3	370
21	2966 / 03.10.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 1 रिम ए–3	370
22	2612 / 15.09.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 1 रिम ए–3	370
23	2617 / 17.10.07	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3	1850
24	552 / 11.06.08	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	ग्लासी पेपर, पाउच	940
25	548 / 16.06.08	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	ग्लासी पेपर, पाउच, कार्टरज	3693
26	549 / 19.06.08	मै0 श्रेष्टा कंसल्टेंसी, शिमला	कम्पयूटर पेपर	650
27	3174 / 02.06.08	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3 10 रिम ए–4	3550
28	931 / 11.08.08	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3	19001
29	977 / 01.09.08	मै0 सिंह बुक डिपो, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3	1850
30	1262 / 23.06.08	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	2 पेन	100
31	1288 / 07.07.08	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–4	800
32	1301 / 15.07.08	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 5 रिम ए–3	1550
33	1322 / 26.07.08	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 10 रिम ए–4, 2 रिम ए–3	2170
34	7197 / 18.02.12	मै0 ट्रेड लिंक, शिमला	कम्पयूटर रिबन	966
35	8014 / 25.09.12	मै0 ट्रेड लिंक, शिमला	टोनर, कार्टरेज पेपर 10 रिम, ए–4	3813
36	8286 / 17.12.12	मै0 ट्रेड लिंक, शिमला	पेन टबलेट, वेब केमरा	4100
37	8207 / 23.11.12	मै0 ट्रेड लिंक, शिमला	वेब केमरा	1180
38	1128 / 03.12.12	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहड़ू	पेपर 2 रिम ए–3	640

39	1168 / 17.12.12	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 2 रिम ए–3, पेन	700
40	1188 / 24.12.12	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 2 रिम ए–3	640
41	1201 / 31.12.12	मै0 अरूण ट्रेडर, रोहडू	पेपर 2 रिम ए–3	640
42	2204 / 16.05.13	मै0 बिजनस मास्टर, शिमला	कार्टरेज	2245
43	7361 / 26.03.12	मै0 ट्रेड लिंक, शिमला	पेपर 10 रिम ए–4	1380

अतः उक्त पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में खरीद नियमानुसार ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) प्रचलित लेखा नियमों के अनुसार खरीदी गई सामग्री को सम्बन्धित सोसाईटी के स्टॉक रजिस्टर पर मदवार दर्ज किया जाना अपेंक्षित था परन्तु उपरोक्त (क) तथा (ख) में क्रमशः क्रम संख्या 1 से 28 व क्रम संख्या 1 से 43 के अन्तर्गत सोसाईटी की गतिविधियों के संचालन हेतु खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं / सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान बताया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा प्रचलित लेखा नियमों के अनुसार स्टॉक रजिस्टर बनाया ही नहीं गया था व्यय को गई राशि कोएक रजिस्टर में दर्ज किया गया था जिसे केवल बिल रजिस्टर ही कहा जा सकता है जिससे खरीदी गई सामग्री की पविष्टियों तथा उसके खपत से सम्बन्धित सत्यापन नहीं किया जा सकता था तथा ऐसी स्थिति में स्टॉक के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार खरीदी गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त खरीदी गइ सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए। इसके अतिरिक्त चर्चा में यह भी बताया गया कि कुछ हार्डवेयर (Hardware) जिला स्त्तरीय ह–गवर्नेन्स सोसाईटी, शिमला से भी प्राप्त हुये थे तथा इन हार्डवेयर (Hardware) को भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उक्त पूर्ण प्रकरण में ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर जाँच करके समस्त खरीदी गई व अन्यों स्त्रोतों से प्राप्त की गइ सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करके सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ओर यदि खरीदी गई अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई सामग्री में कोई अनियमितता पाई जाती है तो तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अनिवार्य है परन्तु जाँच में पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेंन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) रोहड़ू से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नही किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणीः– लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

15 निष्कर्षः– लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है तथा विशेष रूप से ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की रोकड़ बही व स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(2)(सी)(15)(xii)27/2014 खण्ड–1–1867–1871 दिनांक,10.04.2015 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) रोहड़ू, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्रो अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा.........................

हस्ता/–
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.